

प्रपत्र-8

राजस्थान सरकार  
 याथालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौहतन  
 पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ..... बीजासर .....

-:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ..... बीजासर ..... व भू.अ.नि. .... बीजासर ..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिद्धा/नायब तहसीलदार ..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम रूमा अजीम की तहसील सिद्धा व जिला बांसवाड़ा की समाबन्दी सम्वत् ..... में खाता संख्या 42 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को संशोधित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	रूमा अजीम की बस्ती	42	शेरा वल्द जोराराम	शेराराम वल्द जोराराम



(*[Signature]*)  
 पीठासीन अधिकारी  
 उपखण्ड अधिकारी  
 उपखण्ड अधिकारी  
 पदेन सहा.कलक्टर, .....

दिनांक :-

दिनांक :-

प्रति लेखि -  
 1. तहसीलदार सिद्धा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर  
 2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनाथ।  
 3. रसिदा पत्रावली।

(*[Signature]*)  
 पीठासीन अधिकारी  
 लोक अदालत  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर.